



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2009/16.02.2009

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 20.03.2009

एक- भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्राचार्य वर्ग-1 एवं प्राचार्य वर्ग-2 के निम्नानुसार रिक्त पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(अ) में बताई गई रिक्तियों में वर्गवार महिलाओं के आरक्षित पद				कुल	वेतनमान/श्रेणी	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	अनुभव
		अना. अनु. जाति	अनु. अनु. जनजाति	अपिब.	अना. अनु. जाति	अनु. अनु. जनजाति	अपिब.						
1.	प्राचार्य वर्ग-1	02	01	01	-	01	-	-	-	04	10000-375-15200/- राजपत्रित प्रथम श्रेणी	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल (बोर्ड) से इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि। A degree in Engineering from any recognized University or A Diploma in Engineering from any Recognized University or Board	उपाधिधारियों के लिये- किसी भी प्रशिक्षण संस्था अथवा ख्यात कारवार संस्थान में कार्य करने का दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव पत्रोपाधिधारियों के लिये- किसी भी प्रशिक्षण संस्था अथवा ख्यात कारवार संस्थान में कार्य करने का सात वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। अधिमाम- अध्यापन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अधिमाम दिया जाएगा। For Degree Holders- 02 years practical experience of working in any Training institute or in any reputed business concern. For Diploma Holder- 07 years practical experience of working in any Training institute or in any reputed business concern. Preference- Persons possessing teaching experience shall be preferred.
2.	प्राचार्य वर्ग-2	04	01	02	01	01	-	01	-	08	8000-275-13500/- राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल (बोर्ड) से इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि। A degree in Engineering from any recognized University or A Diploma in Engineering from any Recognized University or Board	पत्रोपाधिधारियों के लिये- किसी भी प्रशिक्षण संस्था में अथवा ख्यात कारवार संस्थान में कार्य करने का पाँच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। अधिमाम- अध्यापन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अधिमाम दिया जाएगा। For Diploma Holder- 05 years practical experience of working in any Training institute or in any reputed business concern. Preference- Persons possessing teaching experience shall be preferred.

टीप- (1) इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि का तात्पर्य किसी भी संकाय में इंजीनियरिंग उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संकाय का तात्पर्य इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/सिविल/इलेक्ट्रानिक्स से है।
(2) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएँ/अनुभव आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएँ/अनुभव अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
(3) यह एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है अतः दोनों पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा।
(4) अध्यापन अनुभव के प्रमाण-पत्र संस्था प्रमुख द्वारा जारी किए जाने चाहिए। शासकीय तथा अर्धशासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण-पत्र, प्रतिष्ठान प्रमुख/प्रतिष्ठान में नियुक्ति का अधिकार रखने वाले अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य किये जायेंगे। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-2 की कंडिका 06 में दर्शाया गया है।

महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

दो- शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता। उपरोक्त दोनों पद अस्थायी हैं।

तीन- किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

चार- 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं।
2. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, वे आवेदन-पत्र में अपनी श्रेणी अंकित करें।

पाँच- आयु सीमा- दिनांक 1 जनवरी, 2010 को 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो। मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चार्ज या कान्डीजेन्सी पेंड कर्मचारी तथा राज्य के निगम, मंडल, मंडल परिषद्, नगर निगम, नगरपालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (महिला कर्मचारी भी) के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परन्तु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट में से अधिकतम लाभ वाली

किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

छ- उम्मीदवार नियुक्ति के लिये तभी पात्र होगा, जब शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 में दिनांक 10.3.2000 को किए गए संशोधन के अनुसार:-

(अ) पुरुष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित नहीं हो।

(ब) 26 जनवरी, 2001 के बाद उम्मीदवारों की तीसरी संतान न हो।

सात- चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दो क्रमिक चरण होंगे-

(अ) अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों की लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा।
(ब) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा।

(अ) लिखित परीक्षा- लिखित परीक्षा में नीचे दिये विवरण अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्र होंगे। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिये परिशिष्ट-3 देखें-

(1) अनिवार्य प्रश्न-पत्र (दोनों पदों के लिये)

विषय	पूर्णांक	समयावधि (घंटे)
(अ) सामान्य बोध	150	2.30
(2) ऐच्छिक प्रश्न-पत्र (दोनों पदों के लिये)		

विषय कोड क्रमांक	विषय	पूर्णांक	समयावधि (घंटे)
01	सिविल इंजीनियरिंग	200	2.30
02	मैकेनिकल इंजीनियरिंग		
03	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग		
04	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग		

उक्त विषयों में से कोई एक विषय उम्मीदवार को लेना होगा

प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, परन्तु मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 10 प्रतिशत अंकों में छूट दी जाएगी और उनके लिये कम से कम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय के प्रश्न-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम में होंगे, ऐच्छिक विषय के प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में होंगे।

(ब) साक्षात्कार- प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तकों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुने के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए पूर्णांक 40 निर्धारित है। इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे। अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्तकों एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मरिटर क्रमानुसार किया जाएगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अर्ह (शेष अपलं पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आठ-	लिखित परीक्षा दिनांक 10.05.2009 को निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-	परीक्षा केन्द्र का स्थान	कोड नंबर
		इंदौर	01
		भोपाल	02

परीक्षा समय सारिणी

दिनांक	विषय	समय
10.05.2009	सामान्य बोध	प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 12.30
10.05.2009	ऐच्छिक विषय	अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.30

आयोग उपलब्ध स्थान के अनुसार परीक्षा केन्द्र की क्षमता एवं प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा। आयोग के लिए यह आवश्यक एवं बंधनकारक नहीं है कि आवेदक द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जाये। आवंटित केन्द्र में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केन्द्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नौ- प्रवेश पत्र- आयोग सभी अर्ह (Eligible) आवेदकों को यू.पी.सी. डाक से प्रवेश पत्र भेजेगा। यदि लिखित परीक्षा के दिनांक से 08 दिवस पूर्व तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके लिये आयोग कार्यालय से सम्पर्क करें। आयोग कार्यालय से उन्हें उनका परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति रु. 10/- शुल्क के भुगतान के पश्चात् जारी की जायेगी। परीक्षा केन्द्र/रोल नंबर की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र/रोल नंबर की जानकारी परीक्षा के पूर्व आयोग की वेबसाइट-www.mppsc.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

दस- प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक आवेदन-पत्र ही स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन-पत्र आयोग द्वारा निरस्त किये जा सकते हैं। आवेदन-पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होगा।

ग्यारह- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन-पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

बारह- अधिकतम आयु सीमा में छूटों के लिए परिशिष्ट-1 आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी के लिए परिशिष्ट-2 तथा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-3 देखें।

परिशिष्ट - 1

1- (एक) उच्चतम आयुसीमा में छूटें-

- भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा/महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध/नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदिकाओं को देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
- विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट दी जाएगी।
- टीप- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़ कर अधिवापिकी आयु हो जाये।
- स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि की अधिकतम छूट 08 वर्ष तक दी जाएगी। किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

- छंटनी किये गये सरकारी सेवक** से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 06 मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवानुत्त किया गया हो।
- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिक्रमा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

2. (दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें-

- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ./84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप- (i) परिशिष्ट-1 (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(ii) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु

सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट-1 (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट- उपरोक्त 1 (एक) और 2 (दो) में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट - 2

आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश/जानकारी

1. आवेदन-पत्र- प्राचार्य वर्ग-1 तथा प्राचार्य वर्ग - 2 के पद हेतु रोजगार और निर्माण के दिनांक 16.02.2009 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन के साथ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु कम्प्यूटराइज्ड आवेदन पत्र है। यदि कोई आवेदक दोनों पदों के लिये आवेदन करना चाहता है तो वह दोनों पदों के लिये एक ही आवेदन पत्र भरे। प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदन क्रमांक अंकित है इस मूल आवेदन पत्र पर ही आवेदन करें। आवेदन पत्र की छायाप्रति/टंकित प्रति/हस्तलिखित प्रति मान्य नहीं होगी। कृपया सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के साथ यह कम्प्यूटराइज्ड आवेदन पत्र भी आपको उपलब्ध हो रोजगार और निर्माण की एक प्रति में एक ही आवेदन पत्र (कम्प्यूटराइज्ड) उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र निर्देशानुसार ही भरे।

1. आवेदन पत्र भरने समय इन निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें :-

- आवेदन पत्र दो पत्रे अर्थात् चार पृष्ठों का है पृष्ठ क्रमांक दो खाली है आवेदक उस पर कुछ भी न लिखे अन्यथा आवेदन स्केन नहीं होगा।
- आवेदन पत्र सफाई से काले स्याही के बाल पेन से ही भरे, काटपीट/ओव्हर राईटिंग न करें। इसे गीला या गंदा ना करें।
- कोई भी कालम खाली न छोड़ें, अधूरा भरा आवेदन पत्र आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जायेगा।
- समस्त जानकारी सही व स्पष्ट दें। जानकारी गलत पाई जाने पर आयोग द्वारा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। आवेदन पत्र में अपूर्ण/वृत्तिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।
- फोटो निर्धारित स्थान पर ही चिपकाएं। फोटो पासपोर्ट आकार का सामने से खीचा हुआ जिसमें दोनों कान दिखाई देते हों। फोटो पर स्वयं हस्ताक्षर करें। फोटो के पीछे अपना नाम तथा आवेदन पत्र क्रमांक अनिवार्यतः लिखें। स्टेपल या पिन न करें। फोटोग्राफ की फोटो स्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं है।
- फोटो के समक्ष दिये वाक्स में हस्ताक्षर अनिवार्यतः करें।
- घोषणा पर हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में करें। हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र की छायाप्रति या टंकित प्रति या हाथ से नकल किया गया आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जायेगा। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र पर नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र रखा जाये।
- आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

11. संख्या लिखने में अंतर्राष्ट्रीय अंकों यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें। कलात्मक अंकों का प्रयोग न करें।

12. आवेदन के साथ स्वयं का पता तथा 5/- रुपये के टिकिट लगा एक-लिफाफा 32 x 14 से.मी. आकार के तथा रु. 6/- का टिकिट लगा एक पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें, जिस पर उन्हें आवेदन पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जायेगी।

13. आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदक, उसका पूरा नाम तथा पता जैसा उसने आवेदन पत्र में लिखा है, मुस्पष्ट लिखें।

14. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

15. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखें।

16. मूल आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों को अधिकृत मान्य किया जाएगा इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरे।

17. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग कार्यालय को तत्काल भेजी जाये। साथ में 11.5 x 27.5 से.मी. आकार के परिवर्तित पता लिखे तथा पर्याप्त डाक टिकट लगे दो लिफाफे भी साथ भेजें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

18. **पहचान चिन्ह-** उत्तर पुस्तिका का परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।

19. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन व पेजर तथा अन्य संचार यंत्र बर्जित है।

20. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षरों में कोई अन्तर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

2. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क-

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं, के लिये आवेदन शुल्क रु. 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- (कुल रुपये 150/-) देय होंगे।

(ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर निवासी आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 250/- (कुल रुपये 310/-) देय होंगे। उपरोक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के नाम से बनाकर भेजें। यह बैंक ड्राफ्ट यथासंभव भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा (जी.पी.ओ.)/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (विश्वविद्यालय प्रांगण शाखा) इंदौर पर देय होना चाहिये। आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, पता तथा आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

अत्यंत आवश्यक- बैंक ड्राफ्ट भेजने के पहले उसका भलीभांति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

टीप- आयोग को प्राप्त आवेदन शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापस किया जा सकेगा-

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- I यदि आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन निरस्त हो जाये, अथवा
II यदि किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।
निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट लौटाये नहीं जायेंगे इसलिये आवेदकों के लिये मुझाव है कि अन्तिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाए काफ़ी पहले आवेदन पत्र भेजना उनके हित में होगा।

3. आवेदन की अंतिम तिथि-

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.03.2009 है। अंतिम तिथि को सायंकाल 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र पहुँचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। आयोग कार्यालय के काउंटर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 सायं 5.30 बजे तक) में प्रत्येक कार्य दिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी। डाक/कोरियर से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुये माने जायेंगे। डाक/कोरियर में विलम्ब/गुम होने/कटने-फटने अथवा नष्ट होने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे।

आवेदन पत्र भेजने का पता-
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर-452001

4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण-पत्र-

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अवश्य भेजी जानी चाहिये। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण-पत्र संलग्न न पाये जाने पर आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और उसके संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी की अंक सूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र-

हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की अंकसूचियों की छायाप्रतियाँ जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।

जाति के प्रमाण-पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिये अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो उक्त अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति के पूर्व जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तत्काल आयोग कार्यालय को प्रेषित करें तथा साक्षात्कार के समय मूल स्थायी जाति प्रमाण प्रस्तुत करें इसके अभाव में आवेदक की उम्मीदवारी स्वयंमेव निरस्त हो जायेगी जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा इस संबंध में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाओं को अपनी जाति के प्रमाण हेतु पिता का नाम उल्लेखित स्थायी जाति प्रमाण-पत्र के साथ-साथ विवाह के बाद क्रीमीलेयर के अंतर्गत न होने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम उल्लेखित स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। स्थायी/अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जायें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट 1 की कंडिका - (एक) (3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परिवृत्यता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट 1 की कंडिका - (एक) 4 से 6 तक के आवेदकों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट 1 की कंडिका - (दो) (1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट 1 की कंडिका - (दो) (2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये अन्तर्जातीय विवाह का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट 1 की कंडिका- (दो) (3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. नियोक्ता की अनापत्ति-

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हो, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के माध्यम से भेजा हो और वह आयोग में देर से पहुँचा हो तो उस आवेदन पत्र को समयबाधित (Time Barred) माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया है। जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह परिवचन (Under taking) (जैसा कि आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त पद के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी।

6. अनुभव के प्रमाण-पत्र

अध्यापन अनुभव के प्रमाण-पत्र संस्था प्रमुख द्वारा जारी किए जाने चाहिए। शासकीय तथा अर्धशासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान प्रमुख/प्रतिष्ठान में नियुक्ति का अधिकार रखने वाले अधिकारी द्वारा निम्न प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र मान्य किये जायेंगे:-

व्यवहारिक अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा श्री.....आयु.....वर्ष मेरे संस्थान जो कि.....पद पर पंजीकृत है एवं अथवा से.....संबद्ध है, मैं पूर्णकालिक रोजगार में.....दिनांक.....से दिनांक.....तक वेतनमान रुपये.....में कार्यरत है। वर्तमान में उनका वेतन रु.....प्रतिमाह है। मेरी संस्थान का पंजीयन क्रमांक.....सेल्स टैक्स क्रमांक.....तथा इन्कम टैक्स क्रमांक..... है। श्री.....को.....उनको नियुक्ति दिनांक से समस्त सेवा अवधि में भुगतान किए गये वेतन तथा भत्ते के अभिलेख संस्था में उपलब्ध है।

प्रमाण हेतु निम्न अभिलेखों की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं:-

- (1) संस्थान/प्रतिष्ठान के पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र
- (2) नियुक्ति आदेश की छायाप्रति
- (3) नियुक्ति पश्चात् आज दिनांक तक भुगतान किये गये वेतन से संबंधित वेतन पर्ची/वेतन भुगतान प्रदर्शित करने वाला अन्य अभिलेख।

स्थान:

दिनांक: हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम.....

संस्थान/कार्यालय की सील

नोट: संस्थान/प्रतिष्ठान अनुभव प्रमाण-पत्र अपने लेटरहेड पर ही जारी करें

अनर्हताएँ:-

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या
2. पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
6. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
7. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।
उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या
(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-
(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से
(ii) राज्य शासन द्वारा या/तथा उनके अधीन नियोजन से।
(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शांति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि:-
(i) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

महत्वपूर्ण-

- (i) अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मरिटे क्रमानुसार किया जायेगा।
- (ii) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

यात्रा व्यय का भुगतान

(क) लिखित परीक्षा के लिए मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों को जो किसी सेवा में न हों, परीक्षा में सम्मिलित होने पर मध्यप्रदेश के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान (मध्यप्रदेश की सीमा तक), वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के स्वयं के अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा-पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(ख) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त वर्ग के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान उक्त शर्तों के अनुसार ही आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

प्रभारी सचिव

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य वर्ग-1 एवं 2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु परीक्षा योजना निम्नानुसार है:-

1. परीक्षा योजना-

यह दो दिवसीय परीक्षा दो चरणों में संपादित की जायेगी-

(अ) लिखित परीक्षा

(ब) साक्षात्कार परीक्षा

अ. लिखित परीक्षा-

लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र अधिकतम 350 अंकों के होंगे।

अनिवार्य विषय- प्रथम प्रश्न पत्र- सामान्य बोध विषय का 2.30 घंटे 150 अंक
दो भागों में होगा, जिसमें-

भाग (ए) : 100 प्रश्न के वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

भाग (बी) : 50 अंकों के निबंधात्मक शैली के निबंध (Essay) तथा संक्षिप्तीकरण (Precis writing) के प्रश्न होंगे। जिसमें 30 अंकों का निबंध (Essay) तथा 20 अंकों का संक्षिप्तीकरण (Precis writing) के प्रश्न होंगे।

ऐच्छिक विषय- द्वितीय प्रश्न पत्र-

सिविल इंजीनियरिंग/ 2.30 घंटे 200 अंक

मैकेनिकल इंजीनियरिंग/

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

संकायों के उक्त विषयों में से कोई भी एक विषय उम्मीदवार को लेना होगा।

ऐच्छिक विषय के वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा अर्थात् प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न पत्र के चार संभाव्य उत्तर होंगे। जिन्हें ए.बी.सी.डी. में समुहीकृत किया जायेगा। जिनमें से केवल एक सही होगा। उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गये ए.बी.सी.डी. में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा।

(ख) चूंकि प्राचार्य वर्ग-1 तथा प्राचार्य वर्ग-2 की शैक्षणिक अर्हता एवं अनुमोदित पाठ्यक्रम एक समान है, केवल कार्य अनुभव की अवधि तथा वेतनमान में भिन्नता है। दोनों पदों के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना एक समान निर्धारित है। अतः अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र में विकल्प दे सकते हैं। दोनों पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं पाठ्यक्रम समान हैं, अतः एक ही परीक्षा में राज्य सेवा परीक्षा की भांति आवेदक के विकल्प एवं मेरिट क्रमानुसार प्राचार्य वर्ग-1 तथा प्राचार्य वर्ग-2 हेतु चयन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(ग) प्राचार्य वर्ग-1 एवं प्राचार्य वर्ग-2 दोनों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता डिग्री एवं डिप्लोमा दोनों ही हैं। अतः प्रश्न पत्रों का स्तर डिग्री/डिप्लोमाधारी दोनों के अनुरूप होगा।

(घ) प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य बोध हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक विषय केवल अंग्रेजी भाषा में होगा।

टीप-1 अनारक्षित उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अर्हकारी अंक 23 प्रतिशत होंगे।

टीप-2 अंकों के मेरिट क्रम में सभी श्रेणी की रिक्तियों के 3 गुणा अनुपात + समान अंक के उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जायेंगे।

(ब) साक्षात्कार परीक्षा :-

साक्षात्कार परीक्षा के लिए 40 अंक होंगे। इसके लिए कोई अर्हकारी अंक नहीं होंगे।

टीप:- चयन सूची वर्गवार (मेरिट सूची) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों + साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर बनाई जायेगी। नियमानुसार मुख्य चयन सूची के साथ ही अनुपूरक सूची भी वर्गवार तैयार की जायेगी।

प्रश्न पत्र-1:

	सामान्य बोध : भाग - ए	अंक		General Awareness : Part - A	Marks
1.	सामान्य मानसिक तत्परता (गणित, बीजगणित एवं रेखागणित पर उलझे प्रश्न)	10	i.	General Mental Agility (Confusing questions on Mathematics, Algebra & Geometry)	10
2.	तार्किक योग्यता (समस्या उन्मूलन, निर्णय क्षमता, असामान्य एवं आपात स्थितियों में निराकरण दक्षता/क्षमता)	10	ii.	Reasoning Ability (Problem solving, decision making, dealing with ticklish and testing situations)	10
3.	पर्यावरण	10	iii.	Environment	10
4.	सामान्य अर्थशास्त्र	10	iv.	General Economics	10
5.	भारत का संविधान	10	v.	Constitution of India	10
6.	म.प्र. का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत	10	vi.	Geography, History and Cultural Heritage of M.P.	10
7.	खेलकूद	10	vii.	Sports and Games	10
8.	समकालीन विषय	10	viii.	Current Affairs	10
9.	भाषायी योग्यता (वार्तालाप दक्षता, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, व्याकरण, गद्यांश में निहित उत्तर खोजना)	10	ix.	Language skills (Verbal ability, vocabulary sentence completion, Grammar, reading comprehension)	10
10.	कम्प्यूटर अनुप्रयोज्यता/टेली कम्प्युनिकेशन अनुप्रयोज्यता	10	x.	Computer Application Telecommunication Application	10
	सामान्य बोध : भाग - बी	अंक		General Awareness : Part - B	Marks
	निबंध	30	i.	Essay	30
	संक्षिप्तीकरण	20	ii.	Precis writing	20

CIVIL ENGINEERING

1. Solid Mechanics:

Homogeneous and isotropic media. Stresses and strains, elastic constants, unidirectional tension and compression, Compound stresses, Principal stresses and strains. Bending moments and shear forces and stresses due to them in beams, Deflection in beams. Columns stability and critical loads, Euler's and Rankine's formulae Radius of gyration and slenderness ratio.

Fixed Beams: Computation of fixed end moments for single and two point loads and u.d.l.

Continuous beams: Computation of F.E.M. for continuous beams and drawing of B.M. diagrams including clapeyron's theorem.

2. Fluid Mechanics:

Properties of fluids, fluid static's pressure at a point, forces on plane and curved surfaces. Buoyancy stability of floating and submerged bodies. Dynamics of fluid flow, continuity, momentum and energy equations applied to flow in closed conduits and free surface flows, ideal fluid, flow stream function, velocity potential circulation and vorticity, flow nets, separations and basic pattern of flow.

Viscous flow, flow between static plate and circular tubes, boundary layer concept, drag and lift. Incompressible flow through pipes, laminar and turbulent flow, critical velocity, frictional and other losses in piping system, Pipe network analysis. Open channel, Flow Measurements,

uniform and non uniform flow, specific energy and critical depth, gradually varied flow, surface profiles.

3. Soil Mechanics:

Origin of Soils, Three phase system, index properties, soil classification, Permeability and capillarity, seepage, basic equation for flow through porous media. Flow net characteristics, uses and construction. Flow through earth dams. Stresses in soil, concept of effective stresses, Geostatics and applied stresses, stress distribution in soils, stress path, compactions, Difference between consolidation and compaction, Factors affecting compaction, Terzaphi's theory of one dimensional consolidation, Shear strength, Mohr coulomb failure criterion, laboratory and field methods of determination of shear strength parameters.

Earth Pressure: Classical theories of earth pressure determination by analytical and graphical methods. Introduction to soil investigation. Bearing capacity, computation from laboratory and insitu tests for shallow foundations.

4. Surveying:

General Principles, sign conventions, plotting of maps, topo sheets and their uses, Surveying by chain, Compass and plane table, Levelling : Types and adjustments of instruments, fly, reciprocal and precise levelling. Corrections for refraction and curvature, errors in levelling.

Theodolite: Components, fundamental axes and adjustments of transit theodolite, Measurement of angles and their recording, Contouring, Characteristics, uses and plotting, computation of areas and volumes, Curves: types and their setting.

5. Building Planning, Materials and construction:

Planning, general principles of planning, lighting, ventilation and orientation of buildings, Materials : Stones, Bricks, Line, Cement and Concretes, Timber, Plastics and Paints.

Construction: Detailing of masonry walls, floors, roofs, stair case, doors and windows as per I.S. codes of practice, their types, comparison and selection.

MECHANICAL ENGINEERING

1. Statics & dynamics:

Simple applications of equilibrium equations, simple applications of equations of motion, Simple harmonic motion, work energy & power.

2. Theory of Machines:

Simple examples of links and mechanisms. Classification of gears, standard gear tooth profiles. Function of fly wheel. Types of governors. Static and dynamic balancing. Whirling of shaft.

3. Mechanics of solids:

Stress, Strain, Hook's law, modulus of elasticity. Bending moment and Shear force diagrams of beams. Simple bending and torsion of beams. Thin walled cylinders.

4. Manufacturing Science:

Mechanics of metal cutting, tool life, economics of machining. Cutting tool materials, Types of machine tools, Shearing, Drawing, Spinning, Rolling, Forging and Extrusion processes.

5. Production Management:

Work study, motion economy and work space design, operation and flow process charts. Product design and cost selection of manufacturing process. Site selection, Plant lay out, Material handling. Selection of equipment for job shop and mass, production. Scheduling, dispatching and routing.

6. Thermodynamics:

Heat, work and temperature. First and second law of thermodynamics. Carnot, Rankine, Otto and Diesel Cycles.

7. Fluid Mechanics:

Hydrostatics. Continuity equation. Bernoulli's equation and its application. Flow through pipes. Concept of Laminar and turbulent flow.

8. Heat Transfer:

One dimensional steady state conduction through walls and cylinders/fins. Heat transfer coefficient, Heat exchangers & its effectiveness.

9. Energy Conversion:

Compression and Spark Ignition engines. Reciprocating air compressors, Impulse & Reaction steam turbines. Flow through nozzles. Layout of steam thermal power plant.

10. Environment Control:

Air refrigeration system, vapour compression refrigeration system. Properties of refrigerants, use of Psychometrics charts, Cooling and dehumidification. Heating & dehumidification, Evaporative cooling.

ELECTRICAL ENGINEERING

1. Electrostatic and magneto static fields:

Potential and potential gradient, calculation of electric intensity at a point due to point charge, surface charge density, capacitance calculation due to parallel plate and coaxial cables, analysis of elementary magnetic circuits.

2. Networks:

KCL and KVL in ac and dc networks, network theorems, Thevenin's, Norton's, super position and telegen's theorems and their applications, Mesh and nodal analysis of simple network.

3. DC and AC Machines:

Generation of emf and torque in rotating machines, characteristics of DC motors and generators, characteristics of synchronous and induction motors, phasor diagram and equivalent circuits, calculation of regulation and losses of transformers, all day efficiency, conditions for maximum efficiency of transformer and rotating machines.

4. Electronics:

Intrinsic and extrinsic semiconductors, Concept of holes and electrons, PN junction and transistor, diode rectifiers and filters, CE, CB and CC configuration of transistor, amplifiers and equivalent circuits, small signal audio amplifiers, operational amplifiers and their use as summer, differentiator, integrator, log amplifier, logic gates, De-Morgan's laws, Karnaugh's maps

5. Instruments:

Standards, error analysis, indicating instruments, moving coil, moving iron and dynamometer instruments, their torque equations, ratio meters, measurement of single phase AC and DC power, frequency and phase meter, energy meters, CTs and PTs

6. Power System Analysis:

Transmission line model and performance evaluation, symmetrical components and balanced and unbalanced fault analysis, load flow, stability studies, equal area criteria, swing equation, insulators for transmission lines and corona.

ELECTRONICS ENGINEERING

1. **Electronic Devices & Integrated Circuits:**

Concept of electrons and holes in semi- conductors, mechanism of current flow in a semiconductor, different types of diodes and their characteristics & applications, Bipolar junction transistors, field effect transistors, power switching devices; basics of ICs bipolar, MOS and CMOS types; Basics of Opto-electronics.

2. **Signals and systems:**

Classification of signals and systems, system modeling in terms of differential and difference equations, Fourier Series, Fourier transform of continuous time and Discrete time signals, convolution integral and convolution sum and their applications, Z transforms, their applications to the analysis of discrete time systems, Laplace transform, probability, random variables, random signals, spectral density and its applications

3. **Network Theory:**

Network analysis techniques, network theorems, Zero State, Zero input, transient and steady state response; Network graphs and their application in network analysis; Two port network, various two port networks parameters; Network functions, their pole - zero description; sinusoidal steady state analysis, frequency response, resonance, complex power, maximum power transfer theorems; Elements of network synthesis.

4. **Electromagnetic Theory:**

Electrostatic and magnetostatic fields, Laplace's and Poisson's equations; Time varying fields, and Maxwell's equations; Wave propagation in free space and dielectrics, Transmission lines, standing waves, impedance matching, basics of wave guide and antenna theory.

5. **Electronic Measurements and Instrumentation:**

Standards, Basics concepts of measurement, errors; CRO and its applications, measurements of various electrical quantities and parameters, electronics measuring instruments-analog and digital and their applications; Transducers and their applications, static & dynamic functional characteristic of instruments.

6. **Analog Electronics:**

Transistor biasing and stabilization, small signal analysis at low frequencies and high frequencies of single stage & multi stage amplifiers, power amplifiers, feedback amplifiers,

oscillators, power supplies, Op-Amp: parameters, frequency response, linear and non linear applications; other linear integrated circuits & their applications, tuned amplifiers.

7. **Digital Electronics:**

Transistor as a switching element Boolean algebra simplification of Boolean functions, Karnaugh map method, combinational logic circuits; Half adder, full adder, multiplexer, Demultiplexer, sequential circuits; RS, J-K, D and T flip flops, Semiconductor memories, Different types of counters and registers, A/D and D/A converters, logic families, DTL TTL ECL CMOS and their comparison.

8. **Control systems:**

Transient and steady state response of control systems, effect of feedback on closed loop performance, Frequency domain analysis, Bode plots, polar plots, Gain margin and phase margin, Nyquist criterion, relative stability, constant M and constant N loci, root loci basics of compensation techniques.

9. **Communication Systems:**

Analog communication systems: modulation and detection of different AM, FM waves, spectrum analysis of different AM, FM waves, transmitters, receivers, sampling Theorem, Time division and frequency division multiplexing. Digital Communication Systems; PCM, DM PSK FSK modulation and demodulation, Basic Information theory and coding, Basics of Optical communication & satellite communication.

10. **Microwave Engineering:**

Wave guides, resonator and other microwave components and circuits, microwave tubes and solid state devices, microwave generation and amplifier's parameters and its applications; microwave measurements, application of microwaves.

11. **Computer Engineering:**

Number systems; data representations; programming, introduction to high level programming language C, introduction to features of object oriented language, basics of data structures; fundamentals of computer architecture; processor design, basics of control unit design, memory organization, I/O system organization; Microprocessors; Architecture and instruction set of Microprocessors 8085, Assembly language programming, introduction to microprocessor based system design, introduction to Embedded systems, operating systems such as windows, DOS.